न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 38/2007

महन्त स्वामी रामदास उर्फ रामज्ञान तीर्थ महाराज पिता गुरू महाराज स्वामी मनोहरदास जी साधू, शीतल आश्रम पुष्कर जरिये मुख्त्यारआम श्री गजानन्द सोनी पुत्र श्री सोहनलाल सोनी निवासी मिल चौंक, बिजयनगर, तहसील मसूदा, जिला–अजमेर।

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1. गोविन्ददास शिष्य स्वामी मनोहरदास,
2. तुलसीदास शिष्य स्वामी मनोहरदास,
   दोनो निवासी शीतल आश्रम, पुष्कर जिला–अजमेर। ..... **प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

आदेश दिनांक :– 28.6.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण महाराज स्वामी मनोहरदास जी के शिष्य है। स्वामी मनोहर दास जी द्वारा वसीयत दिनांक 10.6.2004 द्वारा ग्राम पुष्कर स्थित शीतल आश्रम जो खसरा नं. 1979 का भाग है, का आधा–आधा हिस्सा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 01 को दिया तथा बराबर–बराबर के हक अधिकार प्रदान किये। प्रत्यर्थीगण द्वारा अविधिक रूप से एक अन्य वसीयत महाराज मनोहरदास जी की बताकर प्रश्नगत सम्पति का नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 17.11.2005 स्वयं के हक में दर्ज करवा लिया। इस आक्षेपीय नामान्तरकरण से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिए अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने सुनवाई अभिभाषक अपीलान्ट/अपीलान्ट के उपस्थित नहीं आने पर अपील अपीलान्ट अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गई। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने पर उभय पक्ष को सुना जाकर न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उपस्थित उभय पक्ष को सुनकर गुणावगुण पर आदेश पारित करने के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 17.11.2005 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 30.12.2006 को हुई जब अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की गई। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील, गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

28/06/17
जिला कलक्टर
अजमेर

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण महाराज स्वामी मनोहरदास जी के शिष्य है। ग्राम पुष्कर स्थित शीतल आश्रम जो कि खसरा नं.1979 का भाग है, का आधा–आधा हिस्सा स्वामी मनोहर दास जी द्वारा अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 10.6.2004 द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 01 को दिया तथा बराबर–बराबर के हक अधिकार प्रदान किये। प्रत्यर्थीगण द्वारा अविधिक रूप से एक अन्य वसीयत महाराज मनोहरदास जी की बताकर प्रश्नगत सम्पति का नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 17.11.2005 स्वयं के हक में दर्ज करवा लिया। प्रत्यर्थी सं0 01 को स्व0 मनोहरदास जी की दिनांक 10.6.2004 को निष्पादित अंतिम वसीयत की जानकारी होने के बावजूद भी, पूर्व की कथित पुरानी, प्रभावहीन एवं शून्य वसीयत के आधार पर दर्ज आक्षेपित नामान्तरकरण अविधिक होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम पुष्कर के खसरा संख्या 1979 बाबत पारित आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 657 संशोधित कर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या –1 गोविन्द दास के नाम खोला जावें। आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 17.11.2005 निरस्त किया जावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उल्लेखित वसीयत दिनांक 10.6.2004 गुरूजी (स्व0 मनोहरदास जी) द्वारा निष्पादित नहीं की गई है। यह वसीयत फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है तथा अनरजिस्टर्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया। स्व0 श्री मनोहरदास जी द्वारा अन्तिम वसीयत दिनांक 19.2.2003 को रेस्पो0 के हक में निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय, पुष्कर में वास्ते पंजीयन दिनांक 20.2.2003 को प्रस्तुत की गई जो पंजीयन कर दिनांक 10.1.2005 को लौटाई गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 01, शीतल आश्रम की तमाम सम्पति, खाता संख्या 335 के खसरा संख्या 1979 में वर्णित रकबा 00–08–00 बीघा पर मालिकाना हक हैसियत से काबिज है। अपीलार्थी के कथन मिथ्या है। रजिस्टर्ड वसीयत के रहते अनरजिस्टर्ड वसीयत कोई मायने नहीं रखती है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 17.11.2005 पूर्ण रूपेण न्यायोचित, विधिपूर्ण है इसमें हस्तक्षेप की कतई गुंजाईश नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा आरआरडी 2011 पेज 682 तथा आरआरटी 2003(1)पेज 650–653 के उद्धरण उद्धत करवाये।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा वसीयत दिनांक 10.6.2004 को अंतिम वसीयत बताते हुए अपील पेश की गई है जो कि अनरजिस्टर्ड है, जबकि आक्षेपित नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.1.05 के आधार पर दर्ज/स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट को आक्षेपीय नामान्तरकरण के माध्यम से कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी अंतिम वसीयत के संबध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अपील, अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.6.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/06/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर